सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 26, मंगलवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 17, *2024*	
Agrahayana 26, Tuesday, Saka 1946- December 17, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 03, 2024

संख्या:21/भू.अ./ज.स./2017/3110-3114:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ईसरदा बांध परियोजना के ग्राम बनेठा (मालियों की झोपड़िया) की परिसम्पत्तियों की अवाप्ति किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता पुनर्वास ईसरदा परियोजना, टोंक को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

विवरण

अवाप्त भूमि की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव

क्र. सं	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्रांम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1.	ईसरदा बांध परियोजना	बनेठा	बनेठा	उनियारा	टोंक	अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली
		मालियों की झोंपड़ीया	बनेठा	उनियारा	टोंक	

फॉर्म नं. 2

देखें–नियम–5 (पार्ट–बी)

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

समाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मलित होंगें-

क	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता पुनर्वास खण्ड़ ईसरदा परियोजना टोंक
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार समाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	दौसा व सवाईमाधोपुर जिलों को पेयजल आपूर्ति के लिए निमार्णाधीन ईसरदा बांध हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
ख	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्वेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई सुनवाईयां भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
ग	यदि ग्राम सभा और/या भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
घ	समाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और समाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं समाजिक समाघात प्रबंधन योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगें।)	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
ड़	इस अवधि के दौरान इस आश्य का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगें।	हां
च	समाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियन्ता पुनर्वास खण्ड़ ईसरदा परियोजना टोंक

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।